फा.सं.4.4 (3)/2018-सामान्य-I

भारत सरकार

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली- 110069

ई-निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए संघ लोक सेवा आयोग में दवाओं की आपूर्ति के लिए कैमिस्ट का पैनल तैयार करने हेतु।

संघ लोक सेवा आयोग को दवाओं की आपूर्ति के लिए पैनल तैयार करने के लिए दिल्ली के प्रतिष्ठित स्थानीय कैमिस्टों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे 'https://eprocure.gov.in/eprocure/app' पर ऑनलाइन भाग लें।

निविदा सूचना संघ लोक सेवा की वेबसाइट www.eprocure.gov.in/eprocure/app या http://upsc.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

पात्रता मानदंड :-

1. कैमिस्ट के पास औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा जारी विनिर्दिष्ट फार्म 20, 21 और 22-ग (रिटेल लाइसेंस को जारी रखने के लिए, यदि आवश्यक हो) में बोली प्रस्तुत करने की तारीख को अनिवार्यत: वैध लाइसेंस होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सफल बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि बोली खुलने की तारीख से संविदा समाप्त होने की तारीख तक उनका लाइसेंस वैध हो।

2. कैमिस्ट को राज्य औषधि प्राधिकरणों द्वारा हरगिज दोषी नहीं ठहराया गया हो और औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा नियमावली के अंतर्गत कोई मामला लंबित नहीं हो।

3. पिछले वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार पच्चीस लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए। बोलीदाता को हानि और लाभ के समर्थन में पिछले वित्तीय वर्ष का ऑडिट किया गया तुलन-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. कैमिस्ट की दुकान/व्यावसायिक प्रतिष्ठान संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय से 5 कि.मी. तक के क्षेत्र के भीतर स्थित होनी चाहिए।

5. बोलीदाता के पास जी एस टी पंजीकरण प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

6. बोलीदाता को आबंटित पैन की प्रति।

संघ लोक सेवा आयोग के पास बिना कोई कारण बताए कैमिस्टों से प्राप्त सभी या किसी आवेदन को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

(अनिल कुमार)
अवर सचिव (एम एंड एम अनुभा)
संघ लोक सेवा आयोग
टेलीफोन : 23382415

फा.सं.4.4 (3)/2018-सामान्य.I

भारत सरकार

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली- 110069

ई-निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए संघ लोक सेवा आयोग में दवाओं की आपूर्ति के लिए कैमिस्ट का पैनल तैयार करने हेतु।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा माननीय अध्यक्ष/सदस्यों, साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों, आयोग के सलाहकारों और कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस उद्देश्य से संघ लोक सेवा आयोग ई-निविदा के माध्यम से आयोग कार्यालय को दवाओं/औषधियों की आपूर्ति के लिए पात्र स्थानीय कैमिस्टों से निविदाएं आमंत्रित करता है।

प्रस्तुत की जाने वाली जमा धरोहर राशि (ईएमडी) 15,000/- रु. (केवल पंद्रह हजार रुपए) है।

इच्छुक पार्टियां वेबसाइट http://eprocure.gov.in/eprocure/app से विस्तृत निबंधन और शर्तों सहित निविदा दस्तावेज नि:शुल्क देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

क्रिटिकल डेट शीट

निविदा सूचना को खोलना	:	फा.सं.4.4(3)/2018-सा.I
संगठन का नाम	:	संघ लोक सेवा आयोग
जारी करने/ प्रकाशन की तारीख	:	21.01.2019 17:30 बजे
दस्तावेज डाउनलोड शुरु करने की तारीख	:	21.01.2019 17:30 बजे
दस्तावेज डाउनलोड करने की अंतिम तारीख	:	07.02.2019 11:00 बजे

बोलियां अपलोड करने की अंतिम तारीख	:	07.02.2019 11:00 बजे
तकनीकी बोली खोलने की तारीख	:	08.02.2019 15:00 बजे
पत्राचार के लिए पता	:	अवर सचिव (एम एंड एम), कमरा नं. 101, संघ लोक सेवा आयोग, आयोग सचिवालय भवन, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069
वेबसाइट	:	http://eprocure.gov.in/eprocure/app http://upsc.gov.in

ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के अनुदेश

व्यय विभाग के निदेशों के अनुसार यह निविदा दस्तावेज सेन्ट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (URL:http://eprocure.gov.in) पर प्रकाशित किया गया है। बोलीदाताओं को वैध डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्रों का उपयोग करते हुए सी पी पी पोर्टल पर अपनी बोलियां इलेक्ट्रानिक रूप से सॉफ्ट कापियों में प्रस्तुत करनी होगी। नीचे दिए गए अनुदेश का तात्पर्य सी पी पी पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए, अपेक्षानुसार अपनी बोलियों को तैयार करने तथा सीपीपी पोर्टल पर अपनी बोलियों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने में बोलीदाताओं की सहायता करना है।

सी पी पी पोर्टल पर ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के लिए उपयोगी और अधिक जानकारी http://eprocure.gov.in/eprocure/app से प्राप्त की जा सकती है ।

पंजीकरण:

1. बोलीदाताओं को केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल के ई-प्रोक्यूरमेंट माड्यूल (URL:http://eprocure.gov.in) पर “Click here to Enroll” के लिंक पर क्लिक करके इनरॉल करना अपेक्षित है।

2. इनरॉलमेंट प्रक्रिया के भाग के रूप में बोलीदाताओं को यूनिक यूजर नेम का चयन तथा अपने अकाउन्ट के लिए पासवर्ड असाईन करना अपेक्षित होगा।

3. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि पंजीकरण प्रक्रिया के भाग के रूप में अपने वैध ई-मेल पते तथा मोबाइल नं. को रजिस्टर करें। इन्हें सी पी पी पोर्टल से किसी भी प्रकार के पत्राचार के लिए प्रयोग में लाया जाएगा।

4. इनरॉलमेंट हो जाने पर बोलीदाताओं को अपने-अपने प्रोफाइल सहित सीसीए भारत द्वारा मान्यता प्राप्त (उदाहरणार्थ सीफी / टीसीएस / एन कोड / ई-मुद्रा आदि) किसी प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा जारी अपने वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र (साइनिंग की यूजेज सहित श्रेणी II या श्रेणी III प्रमाण-पत्र) को रजिस्टर करना अपेक्षित होगा।

5. बोलीदाता द्वारा केवल एक वैध डी एस सी पंजीकृत किया जाना चाहिए। कृपया नोट कर लें कि बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के प्रति जिम्मेदार होंगे कि उन्होंने

अपना डी एस सी किसी अन्य व्यक्ति को उधार नहीं दिया है, जिससे इसका दुरूपयोग हो सकता हो।

6. उसके बाद बोलीदाता सुरक्षित लॉग इन के माध्यम से आना यूजर आई डी / पासवर्ड और डी एस सी / ई- टोकन का पासवर्ड डाल कर साइट पर लॉग इन करें।

<u>निविदा दस्तावेज़ की खोज:</u>

1) सी पी पी पोर्टल पर विभिन्न सर्च ऑप्शन मौजूद हैं; विभिन्न पैरामीटरों द्वारा सक्रिय निविदा की सर्च हेतु बोलीदाताओं को सुविधा प्रदान की गई है। इन पैरामीटरों में निविदा आई डी, संगठन का नाम, स्थान, तारीख, मूल्य आदि शामिल हो सकते हैं। निविदा की एडवान्स्ड सर्च के लिए एक और विकल्प भी मौजूद है जिसमें बोलीदाता खोज पैरामीटरों की संख्या जैसे संगठन का नाम, संविदा फर्म, अवस्थिति, तारीख, अन्य कीवर्ड आदि सी पी पी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा की खोज के लिए शामिल कर सकते है ।

2) एक बार अपनी रूचि की निविदा का चयन करने के बाद बोलीदाता अपेक्षित दस्तावेज़ / निविदा की समय अनुसूची डाउनलोड कर सकते हैं। ये निविदाएं संबंधित 'माई टेंडर' फोल्डर में भेजी जा सकती हैं। इससे सी पी पी पोर्टल बोलीदाताओं को एस एम एस/ ई-मेल के माध्यम से बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में जारी होने वाले किसी शुद्धि पत्र की जानकारी प्रदान कर सकेगा।

3) यदि बोलीदाता हैल्प डैस्क से किसी प्रकार का स्पष्टीकरण / मदद चाहते हैं, तो बोलीदाता को प्रत्येक निविदा को दिए गए यूनिक निविदा आई डी का एक नोट बना लेना चाहिए।

<u>बोली तैयार करना:</u>

1) अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ के संबंध में प्रकाशित किसी की शुद्धिपत्र को ध्यान में रखना चाहिए।

2) कृपया निविदा विज्ञापन तथा निविदा दस्तावेजो को सावधानीपूर्वक अच्छी तरह पढ़

लें और बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों की जानकारी ले लें। कृपया लिफाफे की संख्या जिनमें बोली दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने हैं, प्रत्येक दस्तावेज़ जिन्हें प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है, का नाम तथा विषय वस्तु सहित दस्तावेज़ों की संख्या को नोट कर लें। इनसे होने वाले किसी प्रकार के विचलन के कारण बोली अस्वीकृत की जा सकती है।

3) बोलीदाता को अग्रिम रूप से बोली दस्तावेज़ /समय-अनुसूची में बताए अनुसार बोली दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए और ये दस्तावेज़ पी डी एफ / एक्स एल एस / आर ए आर / डी डब्ल्यू एफ फार्मेट में होने चाहिए । बोली दस्तावेजों को श्वेत तथा श्याम विकल्प सहित 100 डी पी आई के साथ स्कैन किया जाए।

4) मानक दस्तावेज़ों, जिन्हें प्रत्येक बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, के समान सेट को अपलोड करने में लगने वाले समय एवं प्रयास को कम करने के लिए, ऐसे मानक दस्तावेज़ों (उदाहरणार्थ पैन कार्ड की प्रति, वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र आदि) को अपलोड करने का प्रावधान बोलीदाताओं को मुहैया कराया गया है। ऐसे दस्तावेज़ों को अपलोड करने के लिए बोलीदाता उनको उपलब्ध “माई स्पेस” प्रयोग कर सकते हैं। बोली प्रस्तुत करते समय इन दस्तावेज़ों को सीधे “माई स्पेस” पर प्रस्तुत किया जाए और इन्हें बार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। यह बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में लगने वाले अपेक्षित समय को कम करेगा।

<u>बोली प्रस्तुत करना :</u>

1) बोलीदाता को बोली को प्रस्तुत करने के लिए अग्रिम रूप से साईट पर लॉग करना चाहिए ताकि वे बोली को समय पर अर्थात् बोली प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख या उससे पहले अपलोड कर सकें। अन्य मुद्दों के कारण किसी भी देरी के लिए बोलीदाता जिम्मेदार होंगे।

2) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में बताए अनुसार अपेक्षित बोली दस्तावेजों को डिजीटल हस्ताक्षर करके एक-एक कर अपलोड करना है।

3) बोलीदाता को यथा लागू निविदा शुल्क / जमा धरोहर राशि का भुगतान करने के

लिए "ऑफ लाईन" भुगतान विकल्प का चयन करना होगा और प्रपत्र का विवरण भरना होगा।

4) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार जमा धरोहर राशि तैयार करनी चाहिए। मूल दस्तावेज़ को डाक/कुरियर द्वारा निविदा प्रक्रिया अनुभाग में व्यक्तिगत रूप से बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख तक भेजा जाना चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट / कोई अन्य स्वीकार्य रूप या व्यक्तिगत रूप से भेजे गए विवरणों का मिलान स्कैन प्रति में उपलब्ध विवरण तथा बोली प्रस्तुत करने के समय के दौरान भरे गए डेटा से कर लेना चाहिए। अन्यथा अपलोड की गई बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

5) सभी बोलीदाताओं द्वारा भरे जाने वाले निविदा दस्तावेज के साथ बोली मूल्य फार्मेट दिया गया है। बोलीदाताओं से यह नोट करने का अनुरोध किया जाता है कि उन्हें दिए गए फार्मेट में अपनी वित्तीय बोलियां अवश्य प्रस्तुत करनी चाहिए और अन्य कोई फॉर्मेट स्वीकार्य नहीं है।

6) सर्वर टाइम (जिसे बोलीदाता के डेशबोर्ड पर प्रदर्शित किया गया है) को बोलीदाता द्वारा बोलियां प्रस्तुत करने, बोलियां खोलने आदि की अंतिम तारीख के संदर्भ के लिए मानक समय माना जाएगा। बोलीदाताओं को बोली के प्रस्तुतीकरण के दौरान इस समय का अनुपालन करना चाहिए।

7) बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज़ पी.के.आई इन्क्रिप्शन तकनीकों का प्रयोग करते हुए इन्क्रिप्टेड होंगे ताकि डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके। बोली खोले जाने के समय तक प्रविष्ट किए गए डेटा को अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। इन्क्रिपशन प्रौद्योगिकी के सुरक्षित सॉकेट लेयर 128 बिट का प्रयोग कर बोलियों की गोपनीयता बनाई रखी गई। संवेदनशील क्षेत्रों का डेटा स्टोरेज इन्क्रिपशन किया गया है।

8) अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज़ बोली खोलने वाले प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा निविदा को खोलने के बाद ही पठनीय होंगे।

9) बोली सफल तथा समयबद्ध रूप से प्रस्तुत कर लेने पर पोर्टल सफल बोली प्रस्तुतीकरण संदेश देगा और बोली सं. और सभी संगत विवरणी सहित बोली को प्रस्तुत करने की तारीख एवं समय के साथ बोली का सार प्रदर्शित हो जाएगा।

10) बोली का सार मुद्रित किया जाना अपेक्षित है और बोली प्रस्तुत करने की पावती के रूप में इसे रख लें। इस पावती को बोली खुलने की किसी भी बैठक के लिए एन्ट्री (प्रवेश) पास के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है।

<u>बोलीदाताओं को सहायता</u>

1) निविदा दस्तावेज़ और उनमें निहित निबंधन एवं शर्तों से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या संपर्क के लिए निविदा में बताए गए संगत व्यक्ति को संबोधित की जानी चाहिए ।

2) ऑनलाइन बोली प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया से संबंधित किसी प्रकार की पूछताछ या सामान्य रूप से सी पी पी पोर्टल से संबंधित पूछ ताछ को 24X7 सी पी पी पोर्टल हेल्प डेस्क को अग्रेषित कर सकते हैं। 24X7 हेल्प डेस्क का नं. 0120-4200462, 0120-4001002 है ।

खंड-I

1. कार्यक्षेत्र

पैनल में शामिल किए गए कैमिस्ट, जिन्हें पैनल में शामिल प्राधिकृत कैमिस्ट कहा जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय द्वारा जारी किए गए इंडेंट के अनुरूप निर्धारित समय में अधिकतम खुदरा मूल्य (सभी करों सहित) पर तय की गई छूट की समान दर पर दवाओं/औषधियों की आपूर्ति करेंगे।

2. पात्रता

2.1 कैमिस्ट की दुकान कम से कम पिछले दो वित्तीय वर्षों (2016-17 और 2017-18) से लगातार अस्तित्व में हो। (पिछले दो वर्षों के लाइसेंस की प्रतियों को स्कैन करके ई-निविदा मॉड्यूल पर अपलोड किया जाना चाहिए।)

2.2 कैमिस्ट की दुकान/प्रतिष्ठान संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय से 5 कि.मी. के क्षेत्र के भीतर स्थित होना चाहिए।

2.3 बोलीदाताओं को 15,000/- रुपए (केवल पंद्रह हजार रुपए) की जमा धरोहर राशि (ईएमडी) प्रस्तुत करनी होगी।

2.4 पिछले वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार 25 लाख रुपए (पच्चीस लाख रुपए) से कम नहीं होना चाहिए। बोलीदाता को हानि और लाभ के समर्थन में पिछले वित्तीय वर्ष का ऑडिट किया गया तुलन-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2.5 ऐसे कैमिस्ट/व्यावसायिक प्रतिष्ठान जिनके कई आउटलेट हैं और लेखांकन के प्रयोजन से अपने कारोबार को एक-साथ जोड़ते हैं, उन्हें निविदा में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। उनके कारोबार को प्रति दुकान/रिटेल आउटलेट के अनुसार न गिन कर सभी आउटलेटों के लिए एक-साथ गिना जाएगा।

2.6 कैमिस्ट के पास बोली प्रस्तुत किए जाने की तारीख और बोली खुलने की तारीख को भी औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों और अनुवर्ती संशोधनों के अंतर्गत कैमिस्ट की दुकान चलाने के लिए राज्य औषधि नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा जारी वैध लाइसेंस नामत: फार्म 20 और 21, और 21-ग (रिटेल को जारी रखने के लिए, अर्थात फार्म 20 और 21, यदि आवश्यक हो) होने चाहिएं। सफल बोलीदाता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि संविदा अवधि की समाप्ति तक उनके लाइसेंस वैध हैं। (निविदा प्रस्तुत करते समय सभी संगत दस्तावेज स्कैन करके ई-निविदा वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं।) यदि बोलीदाता ने अपने औषधि लाइसेंस के नवीकरण के लिए अपने किसी भी लाइसेंस की समाप्ति की तारीख के अंतिम माह में आवेदन किया है, तो राज्य औषधि लाइसेंसिंग प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए नवीकरण आवेदन की प्राप्ति की प्रति अपलोड की जानी जरूरी है।

2.7 कैमिस्ट को राज्य औषधि प्राधिकरणों द्वारा हरगिज दोषी नहीं ठहराया गया हो और औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा नियमावली के अंतर्गत उसके विरूद्ध कोई मामला लंबित नहीं होना चाहिए और उसे 'राज्य औषधि नियंत्रक या औषधि लाइसेंस या असिद्ध दोष प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत शहर के किसी अन्य अधिकारी असिद्ध दोष प्रमाण-पत्र' प्रस्तुत करना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ शपथ-पत्र/वचनबंध सहित किसी अन्य दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा।

2.8 बोलीदाता के नवीनतम जीएसटी चालान की प्रति उपलब्ध की जानी चाहिए। इसकी एक प्रति को स्कैन करके बोली दस्तावेज के साथ अपलोड किया जाए।

2.9 **सभी दस्तावेज केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने चाहिए।**

3. <u>मूल्यांकन</u>

3.1 सफल बोलीदाता अर्थात एच1 बोलीदाता अधिकतम रियायत देने वाला बोलीदाता होगा। तथापि, यदि कोई चयनित एच1 बोलीदाता प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है, तो उसकी जमा धरोहर राशि (ईएमडी) को जब्त कर लिया जाएगा और एच2 बोलीदाता (एच1 के ठीक बाद कम रियायत देने वाला बोलीदाता) को एच1 बोलीदाता की रियायत को पूरा करने

का प्रस्ताव दिया जाएगा। एच2 बोलीदाता द्वारा स्वीकृत न किए जाने पर एच1 रियायत पर यह प्रक्रिया अंतिम पात्र बोलीदाता की बारी आने तक जारी रखी जाएगी। बोलीदाता (बोलीदाताओं) को अधिकतम से न्यूयनतम रियायत के क्रम की श्रेणी को घटते क्रम में रखा जाएगा और इन्हें एच1; एच2; एच3 ..... आदि कहा जाएगा। यदि उपर्युक्त प्रक्रिया के बाद भी कोई कैमिस्ट उपलब्ध नहीं है या कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है और प्रक्रिया असफल हो जाती है तो पुनर्निविदा मांगी जाएगी।

3.2 यदि एक बोलीदाता अधिकतम रियायत देता है तो टाई ब्रेकर का उपयोग किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय से कैमिस्ट की दूरी टाईब्रेकर होगी और संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय से सबसे निकटतम कैमिस्ट को निविदा दी जाएगी।

4. **बोली की लागत**

संभावित बोलीदाता कैमिस्ट ई-बोली की तैयारी और उसे प्रस्तुत करने से संबंधित सभी लागतों को वहन करेगा। संघ लोक सेवा आयोग किसी भी मामले में निविदा प्रक्रिया के संचालन और परिणाम का ध्यान किए बिना इन लागतों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

निविदा की उपलब्धता : निविदा दस्तावेज सीपीपीपी ई-प्रापण वेबसाइट अर्थात **http://eprocure.gov.in/eprocure/app** **या** **http://upsc.gov.in** पर उपलब्ध है। इस निविदा में भाग लेने के इच्छुक संभावित बोलीदाता ऊपर उल्लिखित वेबसाइट से निविदा दस्तावेज को नि:शुल्क देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

5. **बोली प्रक्रिया, बोली पर हस्ताक्षर और बोली प्रस्तुत करना।**

5.1 बोलीदाता को अपनी ई-बोली को अनिवार्यत: दो भागों में निम्नानुसार प्रस्तुत करना होगा:

भाग 1 :- "तकनीकी बोली" जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

(क) जमा धरोहर राशि (ईएमडी) :

बोलीदाताओं को जमा धरोहर राशि के रूप में **"सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली"** के पक्ष में देय 15,000/- रुपए (मात्र पंद्रह हजार रुपए) के डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से राशि जमा करनी होगी। यह डिमांड ड्राफ्ट अनिवार्यत: किसी अधिसूचित बैंक द्वारा जारी किया जाना चाहिए। मूल जमा धरोहर राशि/डिमांड ड्राफ्ट को बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख और समय तक अवर सचिव (एम एंड एम), संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली- 110069 को अवश्य भेज दिया जाए या दस्ती रूप से जमा किया जाए। इसके साथ निविदा के लिए भेजे जाने वाले स्वास्थ्य केंद्रों के नाम सूचित करते हुए अग्रेषण पत्र भी भेजा जाए। बोली के साथ जमा धरोहर राशि/बैंक ड्राफ्ट न होने पर बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ख) बोलीदाताओं की पात्रता निर्धारित करने संबंधी दस्तावेज (तकनीकी बोली) :

निम्नलिखित दस्तावेजों को सर्वप्रथम बोलीदाता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्वयं साक्ष्यांकित किया जाना चाहिए और फिर ई-निविदा प्रस्तुत करते समय उन्हें निम्नानुसार स्कैन करके अपलोड करना चाहिए।

क) 15,000/- रुपए (मात्र पंद्रह हजार रुपए) जमा धरोहर राशि/डिमांड ड्राफ्ट की स्कैन की गई प्रति।

ख) बोली प्रस्तुत करने की तारीख को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा जारी विनिर्दिष्ट फार्मों (फार्म 20, 21 और 21-ग जहां लागू हो) में पिछले प्रत्येक दो वर्षों (2016-17 और 2017-18) के वैध लाइसेंसों की विधिवत स्कैन की गई प्रतियां। सफल बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बोली खुलने की तारीख से संविदा अवधि समाप्त होने की तारीख तक उनके लाइसेंस वैध हों।

ग) अनुबंध - ख के अनुसार बोलीदाता द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर की गई घोषणा की स्कैन की गई प्रति अपलोड की जाए।

घ) संगत विलेखों की स्कैन की गई प्रतियां उदाहरणार्थ स्वामित्व / साझेदारी विलेख या निविदा दस्तावेज के खंड 5.2 (ख) i, ii, iii के अनुसार।

ङ) हाल ही मे जमा किए गए जीएसटी के चालान की स्कैन की गई प्रति।

च) 'राज्य औषधि नियंत्रक या उनके द्वारा **औषधि लाइसेंस या असिद्ध दोष प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति प्राप्त शहर के किसी अन्य अधिकारी से असिद्ध दोष प्रमाण-पत्र'** की स्कैन की गई प्रति।

छ) बोलीदाता के कारोबार को दर्शाने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात 2017-18 के लिए ऑडिट किए गए तुलन-पत्रों की स्कैन की गई प्रतियां।

ज) स्वामित्व या फर्म जैसा भी मामला हो के पैन कार्ड की स्कैन की गई प्रति।

झ) इस आशय के वचनबंध की स्कैन की गई प्रति जिसमें यह कहा गया है कि "बोलीदाता ने निविदा दस्तावेज के सभी निबंधन और शर्तों को पढ़ लिया है और वे बोलीदाता को स्वीकार्य हैं"। इस वचन-पत्र की स्कैन की गई प्रति पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए।

भाग 2 :- "वित्तीय बोली" में निम्नलिखित शामिल हैं :-

क) मुख्य बोली मूल्य की स्कैन की गई प्रति को अपलोड किया जाए।

नोट :- कोई भी बोलीदाता 15% से अधिक की रियायत नहीं दे सकता है, इससे अधिक की वृद्धि 0.10% के चरण में होनी चाहिए, उदाहरण के लिए, 15%, 15.10%, 15.20%, 15.30%, 15.40% ..... इत्यादि के रूप में रियायत दी जा

सकती है। यदि समान रियायत दर पर दो बोलियां प्राप्त होती हैं, तो संघ लोक सेवा आयोग से दूरी के आधार पर बोलीदाताओं का मूल्यांकन किया जाएगा।

5.2

क. यदि **खंड - 5.1 (ख)** में मांगी गई अपेक्षित जानकारी/दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं किया गया है तो बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।

ख. बोली और अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को यह अवश्य स्पष्ट करना चाहिए कि वह निम्नलिखित के तौर पर हस्ताक्षर कर रहा/ रही है :-

i. फर्म के एकमात्र मालिक, या ऐसे मालिक के कानूनी वकील।

ii. फर्म के भागीदार, यदि वह भागीदारी फर्म है और इस स्थिति में उसके पास हस्ताक्षर करने, उत्तर देने और अपने विवादों को मध्यस्थ-निर्णय को भेजने के लिए स्पष्ट कानूनी अधिकार अवश्य हो।

iii. कानूनी अटॉर्नी /प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, यदि वह एक कंपनी है।

टिप्पणी :

1. उपर्युक्त (ii) के मामले में, पार्टनरशिप डीड, जनरल पॉवर आफॅ अटॉर्नी की प्रति नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित और इस आशय का शपथ-पत्र कि सभी भागीदार साझेदारी के निष्पादन को स्वीकार करते हैं और जनरल पॉवर ऑफ अटार्नी अपलोड किया जाना चाहिए।

2. ऐसे साझेदारी फर्म के मामले में, जहां व्यवसाय या साझेदारी से संबंधित विवादों को ऐसे किसी साझेदार को भेजने के लिए किसी को प्राधिकृत नहीं किया गया है, वहां बोली और अन्य संगत दस्तावेजों पर अनिवार्यत: प्रत्येक साझेदार को हस्ताक्षर करने होंगे। किसी अन्य व्यक्ति की ओर से बोली फार्म या बोली के भाग के रूप में किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के लिए यह माना जाएगा कि उसे ऐसे अन्य व्यक्ति के लिए कृत्य करने

का प्राधिकार है। यदि जांच करने पर यह मालूम होता है कि इस प्रकार हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है, तो संघ लोक सेवा आयोग अन्य दीवानी और फौजदारी उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संविदा को रद्द कर सकता है और इससे उद्भूत होने वाली सभी लागतों और आने-जाने के खर्च के लिए उस हस्ताक्षरकर्ता को जिम्मेदार ठहरा सकता है।

5.3 बोली की वैधता की अवधि

बोली संघ लोक सेवा आयोग द्वारा बोली खोलने के लिए निर्धारित की गई तारीख के 90 दिन तक स्वीकार करने के लिए वैध होगी और संघ लोक सेवा आयोग इसे आगे 30 दिन तक के लिए बढ़ा सकता है।

5.4 संविदा की अवधि

संविदा प्रारंभ में इस पर हस्ताक्षर करने की तारीख से एक वर्ष के लिए होगी। सामान्यत: संविदा के समाप्त होने के बाद इसे बढ़ाया नहीं जाता है। तथापि, संघ लोक सेवा आयोग के विवेक से ही केवल संतोषजनक कार्य-निष्पादन के आधार पर संविदा के उन्हीं निबंधन और शर्तों पर संविदा को बढ़ाया जा सकता है।

5.5 किसी बोली को स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार

सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को किसी भी समय किसी बोली को स्वीकृत या अस्वीकृत करने और बोली प्रक्रिया को रद्द करने तथा सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है। इससे प्रभावित बोलीदाता या बोलीदाताओं या अन्य बाध्यता के लिए कोई देयता संघ लोक सेवा आयोग की कार्रवाई के आधारों के बारे में प्रभावित बोलीदाता या बोलीदाताओं को सूचित करने की कोई बाध्यता नहीं होगी।

सचिव, संघ लोक सेवा आयोग स्वयं यह वचन नहीं देते हैं कि वे अधिकतम छूट प्रदान करने वाली बोली या किसी भी बोली को स्वीकार करेंगे और उन्हें संपूर्ण बोली या बोली

के किसी भाग को स्वीकार करने का अधिकार हैं तथा बोलीदाता उद्धृत दरों पर दवाओं की आपूर्ति करेगा।

5.6 निष्पादन प्रतिभूति गारंटी

सफल बोलीदाता को अनुबंध - क के फॉर्मेट के अनुसार अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी जो संविदा की अवधि के बाद 6 माह (अर्थात 18 माह के लिए) के लिए वैध हो या **"सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली"** के पक्ष में किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 50,000/- रुपए (मात्र पचास हजार रुपए) की निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करनी होगी। निष्पादन प्रतिभूति जमा पर देय उद्भूत होने वाले ब्याज, यदि कोई हो, के संबंध में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के विरूद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा। संविदा को आगे बढ़ाए जाने के मामले में, निष्पादन गारंटी का नवीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि बढ़ाई गई संविदा अवधि की वैधता से आगे छः माह तक वैध रहे। बोलीदाता को बढ़ाई गई अवधि के लिए निष्पादन प्रतिभूति की वैधता सुनिश्चित करनी होगी।

5.7 भ्रष्ट या कपटपूर्ण संव्यवहार

(i) संघ लोक सेवा आयोग यह अपेक्षा करता है कि बोलीदाता निविदा प्रक्रिया के दौरान और बाद में ऐसी संविदा के निष्पादन के दौरान नैतिकता और आचरण के उच्चतम मानक का पालन करें।

(ii) इस नीति के अनुसारण में निम्नलिखित निबंधन और शर्ते निर्धारित की गई हैं:-

(क) "भ्रष्ट संव्यवहार" का अर्थ है निविदा प्रक्रिया में या संविदा की निष्पादन प्रक्रिया में सरकारी अधिकारी की कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए किसी भी प्रकार की पेशकश करना, प्रदान करना या इसकी मांग करना; और

(ख) "कपटपूर्ण संव्यवहार" का अर्थ है संघ लोक सेवा आयोग के अहित के लिए निविदा प्रक्रिया या संविदा के निष्पादन को प्रभावित करने के उद्देश्य से तथ्यों

को गलत ढंग से प्रस्तुत करना और इसमें बोलीदाताओं के बीच (बोली प्रस्तुत करने से पहले या बाद में) कपटपूर्ण संव्यवहार भी शामिल है जो नकली गैर-प्रतिस्पर्धात्मक स्तरों पर बोली मूल्य को तय करने के लिए किया गया हो ताकि संघ लोक सेवा आयोग को खली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लाभ न मिल सके।

(iii) यदि प्रश्नगत संविदा के लिए प्रतिस्पर्धा करने के दौरान, संघ लोक सेवा आयोग यह निश्चित करता है कि संविदा देने के लिए अनुशंसित बोलीदाता स्वयं भ्रष्ट या कपटपूर्ण संव्यवहारों में शामिल रहा है तो आयोग संविदा देने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा।

(iv) यदि संघ लोक सेवा आयोग किसी भी समय यह निश्चित करता है कि फर्म ने प्रतिस्पर्धा के दौरान या संविदा के निष्पादन के दौरान भ्रष्ट या कपटपूर्ण संव्यवहार किया है तो आयोग उक्त फर्म को अनिश्चित काल के लिए या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अपात्र घोषित कर देगा।

5.8 ज़ब्त करना

यदि बोलीदाता बोली की वैधता की अवधि के दौरान अपनी निविदा को वापस ले लेता है या सफल बोलीदाता के मामले में यदि बोलीदाता निम्नलिखित में विफल रहता है :-

i. निबंधन और शर्तों के अनुसार संविदा पर हस्ताक्षर करना, और
ii. निबंधन और शर्तों में विनिर्दिष्ट किए अनुसार कार्य-निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करना।

तो जमा धरोहर राशि को जब्त किया जा सकता है।

6. बोली प्रस्तुत करना

बोलीदाता केवल ई-निविदा पोर्टल एनआईसी के माध्यम से ही सभी बोली दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे।

6.1.1 ऑनलाइन बोलियां (हर प्रकार से पूर्ण) अनिवार्यत: 'http://eprocure.gov.in/eprocure/app' पर अपलोड की जानी चाहिए।

6.1.2 यदि बोली प्रस्तुत करने की तारीख को भारत सरकार द्वारा अवकाश घोषित कर दिया जाता है तो बोलियां प्रस्तुत करने के लिए अगले कार्य दिवस को बोलियां प्रस्तुत करने की तारीख माना जाएगा। समय-सारणी में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

6.1.3 विनिर्दिष्ट फॉर्मेट और नामावली के अनुसार प्रस्तुत की गई बोलियों को सीधे ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।

6.1.4 अस्पष्ट बोलियों को सीधे ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।

6.1.5 टेलीग्राम/फैक्स/ई-मेल आदि द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस मामले में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा।

7. मूल्य निर्धारण

बोलीदाता को संविदा के अंतर्गत आपूर्ति की जाने वाली सभी मदों के संबंध में स्ट्रिप/बोतल/पैक किए गए यूनिट पर मुद्रित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) (सभी कर सहित) पर समान रियायत प्रतिशत उद्धृत करना होगा। उद्धृत किया गया प्रस्ताव सभी करों सहित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर होगा और यह संविदा की संपूर्ण अवधि के लिए स्थायी एवं नियत रहेगा।

8. बोलीदाता के परिसर का निरीक्षण

यदि इस खंड में उल्लिखित दस्तावेजों के आधार पर तकनीकी बोली में पात्रता पूरी होती प्रतीत होती है, तो अनुभाग अधिकारी या उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में अधिकारियों का एक दल द्वारा निम्नलिखित के लिए बोलीदाता के परिसर का निरीक्षण करेगा :-

(क) संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय से 5 किलोमीटर की सीमा के भीतर दुकान के स्थान का वास्तविक सत्यापन।

(ख) बोली के दौरान पूर्व में अपलोड किए गए मूल दस्तावेजों का सत्यापन।

(ग) उचित कोल्ड-चेन अनुरक्षण सुविधाओं और पॉवर बैक अप सिस्टमों की उपलब्धता।

(घ) रिटेल आउटलेट की मौजूदगी।

(ङ) वाणिज्यिक बोली खुलने से पूर्व दवाओं के पर्याप्त स्टॉक की उपलब्धता और वित्तीय व्यवहार्यता का पता लगाना।

दल द्वारा बोलीदाता के दावों की सत्यता से संतुष्ट न होने की स्थिति में उसे आगे की प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा और उसकी वित्तीय बोली खोली नहीं जाएगी।

9. बोलियां खोलना

बोलियां ई-निविदा पोर्टल 'http://eprocure.gov.in/eprocure/app' के माध्यम से ऑनलाइन खोली जाएंगी।

9.1 जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (वास्तिवक) के डिमांड ड्राफ्ट के साथ प्राप्त ऑनलाइन बोलियां (हर तरह से पूर्ण) खोली जाएंगी। जमा धरोहर राशि के बिना प्राप्त बोली को सीधे ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।

9.2 केवल ऐसे बोलीदाताओं की तकनीकी बोली का बाद में मूल्यांकन किया जाएगा जो पात्रता मानदंडों के अनुसार पात्र पाए जाते हैं।

9.3 केवल उन बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियों को आगे मूल्यांकन के लिए बाद में खोला जाएगा जिनकी बोलियों को तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी रूप से योग्य पाया जाता है।

10. विविध

10.1 सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को इस संविदा अवधि के दौरान एक ही समय में या किसी भी समय एक या अधिक पात्र कैमिस्टों के साथ संविदा करने का अधिकार है।

10.2 सफल बोलीदाता की धरोहर राशि को संविदा निष्पादन करने और कार्य-निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत किए जाने पर बोलीदाता को वापस लौटा दिया जाएगा। असफल बोलीदाताओं की जमा धरोहर राशि को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित निविदा प्रस्ताव की वैधता की अवधि समाप्त होने के 30 दिन के भीतर वापस कर दिया जाएगा।

10.3 औषधियों का मासिक प्रापण मूल्य लगभग 60,000/- रुपए से 70,000/- रुपए है। इसलिए, निविदा का वार्षिक मूल्य लगभग 7,00,000/- रु. से 8,00,000/- रु. तक है।

11. निष्कासन खंड

पैनल में शामिल किए गए प्राधिकृत कैमिस्ट की संविदा को संविदा के किसी भी पक्षकार द्वारा कम से कम तीन माह के पूर्व नोटिस से समाप्त किया जा सकता है, नोटिस की अवधि दूसरे पक्षकार द्वारा नोटिस प्राप्त होने के बाद प्रारंभ होगी।

खंड - ।।

संविदा की शर्तें

1. भिन्न ब्रांड की दवाई स्वीकार नहीं

दवाईयों की विशिष्ट ब्रांड के मांग-पत्र के मामले में, उस ब्रांड के स्थान पर अन्य ब्रांड की दवाइयां स्वीकार नहीं की जाएंगी।

2. सप्लाई की सुपुर्दगी

मासिक दवाईयों का मांग-पत्र प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। मासिक रूप से इंडेंट की जाने वाली सारी दवाइयों की सुपुर्दगी इंडेंट प्राप्ति के 2-3 दिनों के भीतर कार्यालय परिसर में कर दी जाएगी। आयोग के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा पूर्वाह्न में जारी की जाने वाली सभी दैनिक जरूरत की दवाई को उसी दिन प्राप्त कर लिया जाएगा और अपराह्न में जारी सभी दैनिक जरूरतों की दवाइयों को अगले दिन प्राप्त कर लिया जाएगा।

3. पैक की गई सप्लाई

सप्लाई निर्माता की मूल पैकिंग में करना अनिवार्य है। पैकिंग किसी भी दिन मांगी गई किसी विशिष्ट औषधि/दवा की कुल मात्रा के लगभग होना चाहिए।

4. सप्लाई की जाने वाली दवाओं की जीवन अवधि (लाइफ पीरियड)

प्रत्येक दवा की अपनी शैल्फ-जीवन अवधि होती है जो दवा के लेबल पर उल्लिखित होती है। सप्लाई की जाने वाली दवा की शेल्फ लाइफ सप्लाई के समय इसकी शेल्फ-लाइफ की आधी से अधिक अवधि व्यतीत नहीं होनी चाहिए।

5. बिलों की प्रस्तुति :

(i) पैनल किए गए प्राधिकृत कैमिस्ट को दैनिक आधार पर की गई आपूर्ति के लिए अपने बिल मासिक आधार पर करना होंगे। इंडेंट की गई दवाओं की सप्लाई के बिलों को दवाओं की सप्लाई के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल में प्रत्येक दिन सप्लाई की गई दवाओं का पूर्ण विवरण जैसे मद का नाम, निर्माता का नाम, बैच नं., उत्पादन की तारीख और जीवन अवधि समाप्त होने की तारीख, संविदा के अनुसार लाभार्थी आईडी नं. छूट आदि सहित दर्शाना होगा।

(ii) बिल के साथ मूल मांग-पत्र जिस पर डाक्टर के हस्ताक्षर, इंडेंट की गई मदों की प्राप्ति के लिए तारीख और कार्यालय की मुहर होनी चाहिए। उपर्युक्त (i) में उल्लिखित किसी भी विवरण के बिना प्राप्त होने वाले अधूरे बिलों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. सप्लाई ऑर्डर प्रस्तुत करने की अवधि

संविदा के अनुसार संविदा की अंतिम तारीख तक सप्लाई ऑर्डर दिए जाएंगे। संविदा की शर्तों के अनुसार अंतिम तारीख को भी प्राप्त होने वाले ऑर्डर को पूरा करना होगा भले ही दवाओं की सप्लाई करने की तारीख को संविदा समाप्त हो रही हो।

7. निष्पादन प्रतिभूति

इस संविदा के अनुसरण में यदि बाद में यह पाया जाता है कि पैनल में शामिल प्राधिकृत कैमिस्ट को इंडेंट की गई दवाइयों के बदले उनके द्वारा सप्लाई की जाने वाली औषधियां कहीं से चोरी की जाती हैं या गुणवत्ता के अनुरूप नहीं हैं तो निष्पादन प्रतिभूति को जब्त कर लिया जाएगा।

निष्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित कारणों से भी जब्त की जा सकती है यदि प्राधिकृत कैमिस्ट :-

(i) संविदा की शर्तों को पालन करने में विफल होता है या
(ii) घटिया, नकली या अन्य ब्रांड की दवाओं की सप्लाई करता है।
(iii) सप्लाई में विलंब करता है।
(iv) अधिक प्रभार लेता है।
(v) यदि कैमिस्ट उप संविदा सहित भ्रष्ट और कपटपूर्ण संव्यवहार में लिप्त पाया जाता है।
(vi) कैमिस्ट द्वारा औषधियों/दवाओं की सप्लाई 90 दिनों का पूर्व नोटिस दिए बिना बंद नहीं करनी चाहिए।

8. विलंब/चूक के लिए कटौती

8.1 विशिष्ट ब्रांड की दवाइयों के इंडेंट के मामले में, अन्य ब्रांड की दवाइयां नहीं नहीं दी जाएंगी। यदि बाद में जांच के दौरान भुगतान के बाद या पहले ऐसा कोई मामला जानकारी

में आता है, तो आपूर्तिकर्ता पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए विशिष्ट ब्रांड की दवाओं की लागत सहित 500/- रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

8.2 मासिक रूप से इंडेंट की जाने वाली सारी दवाइयों की आपूर्ति प्राप्ति होने के 2-3 दिनों के भीतर कार्यालय परिसर में कर दी जाएगी। उपर्युक्त के अनुसार इंडेंट की गई दवाओं की समय पर सप्लाई न होने पर, सप्लाई नहीं की जाने वाली प्रत्येक मद के लिए 100/- रुपए प्रति मद की दर से जुर्माना लगाया जाएगा (यदि किसी मद को कई बार इंडेंट किया गया हो तब भी एक बार ही कटौती की जाएगी)। तथापि, 'उपलब्ध नहीं' मदों के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। यदि कोई मद शहर में (एन.ए.) है, तो "उपलब्ध नहीं" के संबंध में आयोग के डाक्टर द्वारा पता लगाया जाएगा।

9. चूक होने पर संविदा समाप्त होना

संघ लोक सेवा आयोग, संविदा के उल्लंघन के किसी भी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोलीदाता को चूक के लिए लिखित सूचना भेजकर संपूर्ण संविदा को या उसके एक भाग को समाप्त कर सकता है:-

क. यदि बोलीदाता संविदा में विनिर्दिष्ट अवधि (अवधियों) के भीतर सभी या किसी सेवा को प्रदान करने में विफल रहता है।

ख. यदि बोलीदाता संविदा के अंतर्गत किसी अन्य दायित्व (दायित्वों) को पूरा करने में विफल रहता है।

ग. संघ लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार यदि बोलीदाता ने उप-संविदा सहित संविदा की प्रतिस्पर्धा करने या इसके निष्पादन में भ्रष्ट और कपटपूर्ण संव्यवहार का उपयोग किया है।

10. दवाइयों की आपूर्ति :

10.1 संघ लोक सेवा आयोग को असुविधा न हो इसके लिए कैमिस्ट को हर समय मानक गुणवत्ता वाली दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रखना होगा।

10.2 इस निविदा दस्तावेज के संगत खंडों में प्रावधान किए अनुसार यदि कैमिस्ट खरीददार/लाभार्थी को दवाओं की आपूर्ति करने में विफल रहता है या आपूर्ति के लिए मना करता है तो कैमिस्ट के जोखिम और लागत पर संविदा को समाप्त/रद्द किया जा सकता है। वैकल्पिक स्रोत से आपूर्ति की व्यवस्था में होने वाली किसी भी अतिरिक्त लागत को कैमिस्ट से वसूल किया जाएगा। यह वसूली खंड 11 और 12 में के जाने वाली किसी कटौती के अतिरिक्त और बिना किसी पूर्वाग्रह के होगी।

10.3 कैमिस्ट द्वारा आयोग कार्यालय को औषधियों/दवाओं की आपूर्ति करते समय इंडेंट शीट के संगत कालमों में इंडेंट की गई औषधियों का बैच नं., विनिर्माता का नाम, औषधियों की जीवन-अवधि समाप्त होने की तारीख को सूचित किया जाएगा।

10.4 (क) आपूर्ति की जाने वाली औषधियां/दवाइयां मानक गुणवत्ता वाली होगी। यदि यह पाया जाता है कि दवाई/औषधि की जीवन-अवधि समाप्त हो गई है या होने वाली है, मानक गुणवत्ता वाली पाई नहीं गई है, घटिया और नकली है, तो आपूर्तिकर्ता फर्म (पैनल में नियुक्त किए गए प्राधिकृत कैमिस्ट) के खिलाफ़ अन्य कानूनी कार्यवाही जो कानून के अनुसार की जाती है, के अतिरिक्त उन्हें 3 वर्षों के लिए विवर्जित किया जा सकता है। यदि आपूर्तिकर्ता इंडेंट की गई दवाओं/औषधियों की आपूर्ति करने में विफल हो जाता है तो संघ लोक सेवा आयोग उन्हें किसी अन्य कैमिस्ट से प्राप्त करने के लिए हकदार होगा और

आपूर्तिकर्ता संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भुगतान की गई संपूर्ण राशि की प्रतिपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा। तथापि, कैमिस्ट को सहमत निबंधन और शर्तों के अनुसार केवल उसी राशि का दावा करने की अनुमति दी जाएगी जो दवाइयों के लिए उसे देय होगी।

(ख) विशिष्ट ब्रांड की औषधियों की मांग किए जाने पर किसी अन्य ब्रांड दवाओं की आपूर्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि भुगतान के बाद या उसके पहले जांच में ऐसा कोई मामला जानकारी में आता है तो ऐसी प्रत्येक चूक के लिए इंडेंट की गई विशिष्ट ब्रांड की दवाइयों की लागत के अतिरिक्त आपूर्तिकर्ता को 500/- रुपए का जुर्माना देना होगा।

11. अनिवार्य बाध्यता :

यदि आपूर्तिकर्ता अनिवार्य बाध्यता के कारण संविदा के तहत कार्य-निष्पादन में विलंब कर देता है या अपने दायित्वों को पूरा करने में अन्य प्रकार से विफल रहता है, अर्थात आपूर्तिकर्ता के नियंत्रण से बाहर की स्थिति के कारण ऐसा हुआ है और आपूर्तिकर्ता का कोई दोष या लापरवाही नहीं थी और न ही वह इसे पहले से जान पाया था तो आपूर्तिकर्ता की कार्य-निष्पादन प्रतिभूति जब्त नहीं की जाएगी, जुर्माना नहीं लगाया जाएगा या चूक के कारण संविदा समाप्त नहीं की जाएगी। ऐसी स्थितियों में, संप्रभुता या संविदात्मक क्षमता, क्रांतियां युद्ध, आग, बाढ़, महामारी, संगरोध प्रतिबंध और माल-भाड़ा सम्मिलित हो सकते हैं परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है। यदि अनिवार्य बाध्यता की स्थिति उत्पन्न होती है तो आपूर्तिकर्ता लिखित में ऐसी परिस्थिति और इसके कारणों के संबंध में सूचित करेगा। जब तक खरीददार द्वारा लिखित में अन्यथा निर्देश न दिया गया हो, तब तक आपूर्तिकर्ता संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को, जहां तक व्यावहारिक हो, वहन करेगा और अनिवार्य बाध्यता से बचने के लिए सभी उचित वैकल्पिक उपायों का पता लगाएगा।

12. क्षतिपूर्ति

बोलीदाता संघ लोक सेवा आयोग को सभी कार्रवाईयों, मुकदमों, दावों और की गई मांगों के लिए इस संविदा के कार्य के निष्पादन या उसके संबंध में बोलीदाता द्वारा किए गए या करने के लिए वचन देने के संबंध में इसके विरूद्ध की गई तथा इस संविदा के निष्पादन में किए गए या करने के लिए वचन दिए गए किसी भी कार्य के लिए बोलीदाता के विरूद्ध की गई किसी भी कार्रवाई या मुकदमे के परिणामस्वरूप संघ लोक सेवा आयोग को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए क्षतिपूर्ति करेगा। बोलीदाता द्वारा भारत में लागू कार्य सुरक्षा उपायों का पालन किया जाएगा और वह संघ लोक सेवा आयोग को ऐसी दुर्घटनाओं या जीवन की हानि से उत्पन्न होने वाली सभी मांगों और जिम्मेदारियों से मुक्त करेगा जो बोलीदाता की लापरवाही के कारण हुई हो। बोलीदाता संघ लोक सेवा आयोग को किसी भी अतिरिक्त लागत के बिना ऐसी घटनाओं से उत्पन्न होने वाली सभी क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा और संघ लोक सेवा आयोग को उत्तरदायी नहीं ठहराएगा या उसके लिए बाध्य नहीं करेगा। संघ लोक सेवा आयोग अपने विवेक से और बोलीदाता की संपूर्ण लागत पर ऐसे मुकदमे में बोलीदाता के साथ संयुक्त रूप से या यदि बोलीदाता मामले में प्रतिवाद नहीं करना चाहता है तो अकेले प्रतिवाद करेगा।

13. भुगतान

प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्ट बिलों के भुगतान के लिए अपने दावों को माह में एक बार प्रस्तुत करेगा। सामान्यत: प्रस्तुत किए गए बिलों का भुगतान बिल प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 2 से 3 सप्ताह में कर दिया जाएगा, तथापि, यदि किसी कारण से भुगतान में

विलंब होता है तो प्राधिकृत कैमिस्ट द्वारा ब्याज या नुकसान के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा। भुगतान ईसीएस के माध्यम से किया जाएगा जिसके लिए बोलीदाता को बैंक का पता, खाता सं. आदि से संबंधित अपेक्षित विवरण देना चाहिए।

14. मध्यस्थता

"(i) पक्षकारों के बीच इसके लिए किसी प्रकार का विवाद या मतभेद होने की स्थिति में, ऐसे विवादों या मतभेदों को आपसी विचार-विमर्श द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा। यदि ऐसा समाधान संभव नहीं होता है तो अनसुलझे विवाद या मतभेद को सचिव, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त किए गए एकमात्र मध्यस्थ की मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। माध्यस्थम और सुलह अधिनियिम, 1996 (1966 का संख्या 26) के प्रावधान मध्यस्थता पर लागू होंगे। ऐसी मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली या ऐसा कोई स्थान होगा जो मध्यस्थ द्वारा तय किया जाए। मध्यस्थता की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। मध्यस्थ द्वारा उचित अधिनिर्णय किया जाएगा ('अधिनिर्णय') जो दोनों पक्षकारों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता की लागत करार के पक्षकारों में समानरूप से बांटी जाएगी। तथापि, इस संबंध में की गई तैयारी, प्रस्तुति पर प्रत्येक पक्षकार द्वारा किए जाने वाले व्यय को पक्षकार द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।

(ii) किसी विवाद, मतभेद या दावे की प्रस्तुति और / या निर्णय या मध्यस्थ अधिनिर्णय का प्रकाशन लंबित रहने तक, पक्षकार ऐसे अधिनिर्णय के अनुसार अंतिम समायोजन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस करार के अंतर्गत अपने सभी दायित्वों का निष्पादन करता रहेगा"।

15. नोटिस

15.1 इस संविदा के अनुसरण में एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया जाने वाला नोटिस पंजीकृत डाक द्वारा लिखित में या प्रतिकृति द्वारा भेजा जाएगा और जिसकी पुष्टि दूसरे पक्षकार के पते पर डाक द्वारा निम्नानुसार मूल प्रति भेजकर की जाएगी :-

संघ लोक सेवा आयोग *: सचिव, संघ लोक सेवा आयोग,

धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069

बोलीदाता *: _____

_____

_____

15.2 नोटिस इसके सुपुर्द होने या उसके प्रभावी होने की तारीख, जो भी बाद में हो, से नोटिस प्रभावी होगा ।

(अनिल कुमार)
अवर सचिव (एम एंड एम)
संघ लोक सेवा आयोग
टेलीफोन :- 23382415

निविदा स्वीकृति पत्र

(कंपनी के पत्र शीर्ष (लेटर हैड) पर दिया जाए)

तारीख : _____

सेवा में

_____
_____
_____

विषय : निविदा के निबंधन और शर्तों की स्वीकृति।

निविदा संदर्भ सं. : _____

निविदा/कार्य का नाम - संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय को दवाइयों की आपूर्ति।

महोदय,

मैंने/हमने ऊपर उल्लिखित वेबसाइट (वेबसाइटों) में दिए गए आपके विज्ञापन के अनुसार ऊपर उल्लिखित 'निविदा/कार्य' के लिए निविदा दस्तावेज वेबसाइट अर्थात _____ से डाउनलोड/प्राप्त कर लिए हैं।

2. मैं/हम एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने पृष्ठ सं. _____ से ____ तक (अनुबंध (अनुबंधों)), अनुसूची (अनुसूचियों) आदि जैसे सभी दस्तावेजों सहित) के निविदा दस्तावेजों, जो संविदा करार का भाग है, के सभी निबंधन एवं शर्तों को पढ़ लिया है और मैं/हम उनमें निहित निबंधन/शर्तों/खंडों का एतद्द्वारा पालन करेंगे।

3. इस स्वीकृति पत्र को प्रस्तुत करते समय आपके विभाग/संगठन द्वारा समय-समय पर जारी शुद्धि पत्र (पत्रों) को भी ध्यान में रखा गया है।

4. मैं/हम ऊपर उल्लिखित निविदा दस्तावेज (दस्तावेजों)/शुद्धि पत्र (पत्रों) की निविदा शर्तों को बिना किसी शर्त के पूर्ण/समग्र रूप में स्वीकार करता हूं/करते हैं।

5. इस निविदा के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किए जाने पर आपका विभाग/संगठन किसी अन्य अधिकार या प्रतिविधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त पूरी जमा धरोहर राशि जब्त करने सहित इस निविदा/बोली को रद्द करने के लिए स्वतंत्र हैं।

भवदीय,

(बोलीदाता के हस्ताक्षर और कार्यालय की मोहर)

अनुबंध - क

संघ लोक सेवा आयोग के लिए कैमिस्टों को पैनलबद्ध करना
निष्पादन प्रतिभूति प्रपत्र (पी एस एफ)

सेवा में,

सचिव,
संघ लोक सेवा आयोग
नई दिल्ली -110069

जबकि ..... (सफल बोलीदाता का नाम) द्वारा दिनांक ..... को जारी निविदा दस्तावेज़ के अनुसरण में जिसे इसके पश्चात "सफल बोलीदाता" कहा गया है, ने ..... द्वारा जारी दिनांक ..... के निविदा दस्तावेज के अनुसरण में ..... (सेवाओं का विवरण) इसके बाद "संविदा" कहा गया है, के लिए क्रय संविदा संख्या दिनांक ..... के लिए वचनबंध किया है।

और जबकि यह निविदा दस्तावेज़ की एक शर्त है कि सफल बोलीदाता को संविदा में शामिल होने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निष्पादन बैक गारंटी के रूप में प्रस्तुत करनी होगी।

और जबकि हम लोग सफल बोलीदाता के लिए गारंटी देने के लिए सहमत है ।

अत: हम एतदद्वारा स्वीकार करते है कि हम गारंटीदाता है और ..... रू. (केवल ..... रूपए) की कुल राशि आपको प्रदान करने के प्रति उत्तरदायी है और हम सफल बोलीदाता को संविदा के तहत चूक किए जाने की घोषणा करते हुए आप द्वारा पहली लिखित मांग किए जाने पर और बिना किसी डीमर केविल या तर्क के उपर्युक्त राशि की सीमा में आने वाली किसी भी रकम या अधिक रकम, इस संबंध में आपकी मांग या उसमें विनिर्दिष्ट रकम के लिए आपको सिद्ध करने के आधार या कारण बताने की जरूरत नहीं होगी।

आपके कार्यालय से इस आशय का पत्र कि सफल बोलीदाता ने संविदा के अनुसार या इसके तहत अपने सभी या किसी दायित्व का उपयुक्त एवं विश्वसनीय कार्य निष्पादन में चूक की है - हमारे लिए निर्णायक, अंतिम और बाध्यकारी होगा। हम इससे भी सहमत हैं कि आप इस संबंध में एकमात्र निर्णयक होंगे कि संविदा के तहत इसके दायित्वों के मामले में उपयुक्त एवं विश्वसनीय कार्य निष्पादन में सफल बोलीदाता से चूक हुई है। आपका यह निर्णय है कि उनसे चूक हुई है - हमारे लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा चाहे आपके और सफल बालीदाता के बीच किसी प्रकार का मतभेद हो या किसी मध्यस्थ या किसी अन्य अदालत या अधिकरण या प्राधिकरण में किसी प्रकार का विवाद लंबित हो ।

इस गारंटी को कार्यान्वित करने हेतु आप इस रूप में कार्य करने के हकदार है मानों हम प्रधान कर्जदार हैं और हमारे संविधान में किसी प्रकार के फेरबदल से इस गारंटी या सफल बोलीदाता इस गारंटी के तहत किसी भी तरह से अथवा किसी भी रूप में हमारे दायित्व या कर्तव्य को प्रभावित नहीं करेंगे। इस गारंटी के तहत हमारे दायित्व को किसी भी रूप में प्रभावित किए बिना आपके किसी भी समय संविदा की शर्तों को परिवर्तित करने या इसके अनुपालन हेतु समय या अवधि को बढाने या अपने किसी अधिकार के प्रयोग को कभी स्थगित करने या संविदा के किसी शर्तों भी निबंधन या शर्त को प्रवर्तित नहीं करने का अधिकार होगा तथा इस गारंटी के तहत आपके द्वारा ऐसी स्वतंत्रता का प्रयोग करने अथवा आपकी ओर से अन्य तरह से बचे रहने या अन्य कार्य में संलिप्त रहने अथवा चूक की वजह से हम अपने दायित्वों अथवा कर्तव्य से मुक्त नहीं होगे। हम इस अवधि के दौरान इस गारंटी को रद्द नहीं करने का वचन देते हैं।

हमें संबोधित अनुरोध, मांग अथवा इसके तहत किसी भी रूप में कोई नोटिस डाक द्वारा उपर्युक्त संदर्भित शाखा पर भेजा जाए जो ऐसे नोटिस को प्राप्त करने तथा इसका तत्काल भुगतान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत समझी जाएगी। यदि यह नोटिस डाक द्वारा भेजा जाए तो यह माना जाएगा कि इसकी सुपुर्दगी डाक द्वारा उपयुक्त समय पर तब की गई है जब यह नोटिस डाक द्वारा सही समय पर भेजा जाना चाहिए था। डाक द्वारा ऐसा नोटिस देते समय यह प्रमाणित करना प्रर्याप्त होगा कि नोटिस वाला लिफाफा डाक द्वारा ही भेजा गया था और आपके किसी भी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कोई भी प्रमाण पत्र कि लिफाफा डाक द्वारा भेजा गया था, निर्णायक होगा ।

यह गारंटी तत्काल प्रभाव से लागू होगी और संविदा के प्रावधानों के अनुसरण में आपके द्वारा जारी किए जाने तक या संविदा की वैधता के बाद छह माह के लिए लागू एवं प्रभावी रहेगी ।

..... दिन ..... माह ..... 20 को हस्ताक्षर कर एवं मुहर लगाई गई।

हस्ताक्षरित, सील किया गया एवं सुपुर्दगी की गई

कृते और की ओर से (बैंक का नाम) द्वारा
प्रेषक :

(हस्ताक्षर)

(नाम)

(पदनाम)

(पता)

<u>अनुबंध- ख</u>

संघ लोक सेवा आयोग में कैमिस्ट का पैनल तैयार करने के लिए निष्पादन प्रतिभूति

बोलीदाता की घोषणा

प्रेषक :

फोन / फैक्स, मोबाइल नं. और ई-मेल पता सहित बोलीदाता का पूरा पता :

सेवा में

सचिव,
संघ लोक सेवा आयोग
धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड,
नई दिल्ली

महोदय,

मैं / हम बोली सूचना में इंगित किए अनुसार एतद्वारा संघ लोक सेवा आयोग को दवाइयों/ औषधियों की आपूर्ति करने का प्रस्ताव कर रहा हूं / रहे हैं; आप संलग्न **बोली कीमत** में दी गई दर पर बोली स्वीकार करने और ..... तक इस प्रस्ताव को खोलने के लिए सहमति का उल्लेख करें। मैं / हम निर्धारित समय के भीतर स्वीकृति की सूचना अवश्य प्रेषित कर दूंगा / देंगे ।

2. मैंने / हमने बोलीदाताओं के अनुदेश और संविदा की शर्तों की जानकारी ले ली है और ये पूर्ण रूप से स्वीकार है ।

3. मैं / हम अपेक्षित दवाईयों / औषधियों के प्रकार से पूर्ण रूप से अवगत हूं / हैं और मेरा / हमारा प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग की अपेक्षाओं के अनुसार ही दवाइयों/ औषधियों की आपूर्ति करने का है।

4. मैं / हम स्थानीय खरीद मांग-पत्रों में दी गई नामावली, विनिर्देशों और पैकेजों के अनुसार मानक गुणवत्ता वाली दवाइयों / औषधियों की आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए सहमत हूं /हैं ।

5. मैं / हम इस बात से सहमत हूं / हैं कि पूर्वोक्त आपूर्ति में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों और इसके अधीन बनाए गए नियमों का पालन किया जाएगा।

6. मेरी / हमारी दुकान संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के 5 किलोमीटर क्षेत्र के भीतर स्थित है ।

7. मेरी / हमारी फर्म पर राज्य औषधि प्राधिकरणों द्वारा कोई दोष सिद्धि नहीं हुई है और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा नियमावली के अधीन कोई मामला लंबित नहीं है ।

साक्षी के हस्ताक्षर	बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम:	नाम:
पता:	पता:
दिनांक: ..... / ..... /	दिनांक: ..... / ..... / .....

अनुबंध-ग

संघ लोक सेवा आयोग को दवाइयों / औषधियों की आपूर्ति के लिए निविदा दस्तावेज़ का फार्मेट

बोली मूल्य

महत्वपूर्ण टिप्पणी : (1) कोई भी बोलीदाता 15% से कम छूट उद्धृत नहीं कर सकता।

(2) इस छूट में वृद्धि 0.10% के क्रम में होनी चाहिए, उदाहरण के लिए छूट 15%, 15.10% ..... और इसी क्रम में दी जा सकती है।

प्रेषक :

बोलीदाता का पूरा पता :
फोन / फैक्स, मोबाइल नं. :

सेवा में

अवर सचिव (एम &एम)
संघ लोक सेवा आयोग
धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड,
नई दिल्ली

महोदय,

मैं / हम एतद्वारा नीचे बताए अनुसार अधिकतम खुदरा मूल्य पर छूट के साथ अस्पताल को दवाइयों / औषधियों की आपूर्ति करने का प्रस्ताव करता हूं/ करते हैं :-

(1) आपूर्ति की सभी मदों पर मुद्रित खुदरा मूल्य में दी जाने वाली एक समान छूटः-

क्रम सं.	मद का नाम	अधिकतम खुदरा मूल्य पर पेश की जाने वाली छूट की प्रतिशतता	
		अंकों में	शब्दों में
1.	औषधियां / दवाइयां		

(2) मैं आपूर्ति की सभी मदों पर मुद्रित खुदरा मूल्य संबंधी छूट की उपर्युक्त उद्धृत दर को एक वर्ष तक वैध रखने का वचन देता हूं और संतोषजनक कार्य-निष्पादन के आधार पर एक वर्ष समाप्त होने के बाद और एक वर्ष के लिए इसे वैध रखा जा सकेगा ।

हस्ताक्षर .....

नाम .....

रबड़ की मोहर .....